#### प्रपत्र-30.3

परियोजना विवरण :- एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 4.00 किमी०+15मी० स्पान आर०सी०सी० मोटर सेत्)

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापूत्ति प्रमाण-पूत्र ग्राम पंचायत का नाम नोगाव ताक हटेला

> > तहसील व जिला-अल्मोडा अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 किमी0+1नं0सेतु) के निर्माण हेतु कुल 1.377 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नीजिव तोड हटोला द्वारा दिनांक 13-06- 2018 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भृमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नी गाँव लोक दरीला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपित्त नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

To Go-270 G OF TEN-MONIE

प्रपत्र-30.4

### दिनांक .13::06::2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

### ग्राभ पंचायत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	1400	
D	of glanon U1034	olans
<b>3</b>	3157010	Afrila
3	313616	313212
(9)	ग्रहेन् प्रिट ने की	Mange
9	Sitesty & Ammidd	MERNE
6	flato Ur	\$1919-315
- (T)	450d	Good
8	21829163	" werd he
9	उपिया कि	314g(2)E
(1)	-d-4014=	-a-Gn1xpe
(1)		

मिन्द्रिकार्या अवीतः विचारतः सोगावः विचारतः सोगावः विचारतः परियोजना विवरण :— एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 4.00 किमी०+15मी० स्पान आर0सी0सी० मोटर सेतु)

### कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोडा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम् 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्माड़ा

उपखण्ड भनोली परिक्षेत्र के एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विद्यानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 किमी०+1नं0 सेतु) के निर्माण हेतु कुल 1-377 हैं। वन भूमि, का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अल्मोड़ा) की दिनांक 31-07-2018को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार रामिति की बैठक म विवेक राम उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

भी विवेक राम उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा, अध्यक्ष 2- श्री विनकर जिल्ला उप प्रभागीय बेनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य 3- श्री राव दे कारती सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य विवत - भेंसियाल्या (स्त्मोडा) **रि**० जा-भैसियाल

🗦 – প্লা **गणेश — चम्प्राल** बीoडीoसीo क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 किमी०।-1नं सेतु) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नेयम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैंसियाछाना के अन्तर्गत नौगांव से कनारीछीना मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 किमी०+1नं0 सेतु) के निर्माण हेतु कुल 1.25 है0 विभी निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

J37-17-18

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील व जनपद अल्गोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड रंतरीय वन अधिकार समिति तहसील- भनोली, जनपद अल्मोड़ा

## FORM-1 Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	Dated. 94-08-2018

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF is letter dated 5<sup>th</sup> feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.377 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of the एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना के नौगांव से कनारीछिना मोटर मार्ग का नवनिर्माण(लम्बाई 2.015 किमी०)district Almora falls within jurisdiction naugaon, tok hatola Village (s) in Almora tahsils.

#### It is further certified that:

- (h) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
- (i) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

विता श्रमाय इत्याच अविकासी अक्टोस Nitin singh Bhadauria District Collector, Almora

## FORM-II Government of Uttarakhand

### Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	•	Dated. 04-8-2018

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 1.377 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D. Almora for the एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना के नौगांव से कनारीछिना मोटर मार्ग का नवनिर्माण(लम्बाई 2.015 किमी०) in Almora district falls within jurisdiction of naugaon, tok hatola Village (s) in Almora tahsils.

It is further certified that:

- (m) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 1.377 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ....... to annexure .......
- (n) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.: YES
- (o) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Gurura villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (p) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (q) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (r) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

Nitin singh Bhadauria District Collector, Almora

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Nitin singh Bhadauria, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date al. : 08. 2018. at time 2:30 PM... at Almora in which application claiming rights of naugaon, tok hatola measuring 1.377 hac. for the एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड मैसियाछाना के नौगांव से कनारीछिना मोटर मार्ग का नवनिर्माण(लम्बाई 2.015 किमी०) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

DATE:

द्वा प्रनाप क्ल्याण अधिकारो द्वीकृ Deputy Commissioner cum-Chairman

District Level Committee